न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं. 107/2025
अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act.

वादी – 1. रहीम पुत्र झखरा जाति मुसलमान निवासी ईटादा तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अनवर पुत्र झखरा 2. दोमी पत्नी निहाज 3. लतीफ 4. हनीफ 5. बीजू 6. दूला 7. लाखा पि. निहाज जातियान मुसलमान निवासी ईटादा, तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 8. तहसीलदार एवं उप पंजीयक चौहटन

उपस्थित – वादी वकील – श्री फताराम गोदारा
प्रतिवादी – एकतरफा,

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25.05.2026

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 पूर्व पुरूष लांगा के वारिशान है। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि मौजा इटादिया, पटवार क्षेत्र इटादा, तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ खेत खसरा संख्या 969/669 रकबा 55.13 बीघा का आया हुआ है। वक्त सेटलमेंट उक्त वादग्रस्त भूमि लांगा के वारिशान के नाम दर्ज है। वक्त सेटलमेंट उक्त वादग्रस्त भूमि लांगा के वारिशान के नाम दर्ज हुए। वंशवृक्षावली अनुसार लांगा के दो पुत्र वसन्त व सबला जिसमें वसन्त का पुत्र अखीया लाऔलाद फौत हुआ तथा सबला के दो पुत्र झखरा व सुरता जिसमें सुरता के तीन पुत्र इसाक, मखणा, सिलीया लाऔलाद फौत हुए।

वादी द्वारा कई बार राजस्व अधिकारियों को उक्त फौत हुए खातेदारान के विधिक वारिसान के नाम खातेदारी में इन्द्राज करने का निवेदन किया गया लेकिन उक्त खातेदारान के फौत होने के बाद राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। वादी व प्रतिवादीगण उक्त खातेदारान के विधिक वारिशान है। वादग्रस्त आराजी मौजा इटादिया, पटवार क्षेत्र इटादा, तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ खेत खसरा संख्या 969/669 रकबा 55.13 बीघा में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा खातेदारी में है तथा इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज होने से वादी अपना 1/3 हिस्सा खातेदारी में होने तथा मौके पर वादी की पक्की रहवासी ढाणियां, चाराबाड़े, टांके आदि होने से इसी हिस्सानुसार घोषणा करवाने का अधिकारी होने से यह घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

वादग्रस्त आराजी में वादी का राजस्व रेकर्ड में हिस्से नही खुले होने व बंटवाड़ा नही किए होने के कारण प्रतिवादीगण वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने तथा भूमि को बेचान पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद मे कामयाब हो जाते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में करना संभव नही होगा। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। तथा वादग्रस्त आराजी मौजा इटादिया, पटवार क्षेत्र इटादा, तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ खेत खसरा संख्या 969/669 रकबा 55.13 बीघा में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाना चाहते है।

वादी का का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब तबल किया गया। वादी वकील द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार – 2018 के केम्प ईटादा राजीनामा पेश किया। तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित वंशवृक्षावली व पैरा सं. 3 मे अंकित सजरा विवरण (जमाबंदी में अकितानुसार) लाऔलाद फौत का इश्तिहार अकबार में छाया हेतु इस्तदुआ किये जाने पर इश्तिहार अखबार छाया किया गया बावजूद कोई उपस्थित नही आया। पत्रावली बहस़ हेतु मुंकर्र की ग़ई। वादी रहीम की ओर से साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया तथा प्रकरण में तहसीलदार धनाऊ द्वारा जवाब पेश कर बताया कि वाद माफिक वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी में अपना हक–हिस्सा से संबंधित है जिसमें राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होता है।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किये जाने हेतु निवेदन कियां। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। न्यायालय के मतानुसार वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहीत में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा इटादिया, पटवार क्षेत्र इटादा, तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ खेत खसरा संख्या 969/669 रकबा 55.13 बीघा में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ), चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन